उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या- 23/2018/335//22-4-18-48(1)/05
लखनऊ : दिनांक- 23 मार्च, 2018

शुद्धि पत्र

निर्माणाधीन जिला कारागार, श्रावस्ती के निर्माण कार्यो की निरन्तरता बनाये रखने हेतु जारी शासनादेश संख्या-11/2018/130/22-4-18-48(1)/05, दिनांक 15.02.2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु (5) में धनराशि का उपयोग दिनांक 30.06.2018 तक करने के स्थान पर दिनांक 31.03.2018 पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक-15.02.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

संख्या-23/2018 /335(1)/22-4-18-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in